(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 17 **नई दिल्ली 14 फरवरी 2008**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा विशाखापट्टणम पत्तन न्यास में बर्थ संख्या ईक्यू-8 और ईक्यू-9 पर अपने प्रचालन के लिए विज़ाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के वर्तमान दरमान की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है ।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं.टीएएमपी/33/2004-वीएसएल

आदेश

(जनवरी 2008 के 28 वें दिन पारित)

यह मामला विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी) में बर्थ संख्या ईक्यू-8 और ईक्यू-9 पर अपने प्रचालन के लिए विज़ाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वीपीसीएल) के वर्तमान दरमान की वैधता के विस्तार से संबन्धित है ।

2. इस प्राधिकरण ने वीएसएल के वर्तमान दरमान की वैधता को 31 जुलाई, 2007 तक अथवा प्रस्ताव के अंतिम निपटान तक, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक विस्तारित करते हुए दिनांक 28 मार्च, 2007 को एक आदेश पारित किया था । उक्त आदेश 10 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था । राजपत्र अधिसूचना सं. 163 द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2007 को अधिसूचित किये गये हमारे आदेश सं. टीएएमपी/33/2004-वीएसएल द्वारा, वीएसएल के दरमान की वैधता को और आगे 31 दिसंबर 2007 तक विस्तारित किया गया था।

3. जैसाकि, दिनांक 12 जून 2007 को आयोजित संयुक्त सुनवाई में वीएसएल द्वारा आश्वस्त किया गया था, उन्होंने एक संशोधित प्रस्ताव दाखिल किया है। वीएसएल द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधित प्रस्ताव को वीपीटी और संबंधित प्रयोक्ताओं / प्रयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया है। प्रस्ताव को अंतिम रूप से एक संयुक्त सुनवाई के पश्चात् जिसकी व्यवस्था की जानेवाली है, निपटा दिया जायेगा। अतः यह प्राधिकरण वीएसएल के वर्तमान दरमान की वैधता को आगे अन्य छः माह के लिए 30 जून 2008 तक अथवा अनुमोदन किये जानेवाले दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो तब तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष